

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।

पत्र सं-851 /जि.वि.से.प्र.बदायूं/ 2025

दिनांक- 05/08/25

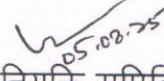
आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति

माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025 (Sandeep/Ri) दिनांकित 30.07.2025 के अनुपालन में माननीय नालसा एवं MCPC के निर्देशानुसार **स्पेशल मीडिएशन ड्रावइ - राष्ट्र के लिए मध्यस्थता** अभियान के अन्तर्गत कैटेगरी "सी" के जिला में **लगभग 20 मध्यस्थगण** नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदायूं में वर्तमान में 14 मध्यस्थ अधिवक्ता कार्यरत हैं। पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कार्य सुचारु रूप से कराने हेतु **6 अतिरिक्त मध्यस्थगण** की नियुक्ति की जानी है।

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार ए.डी.आर. केन्द्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र, में न्यायालयों द्वारा सन्दर्भित मामलों में पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराने हेतु **6 अतिरिक्त मध्यस्थगण** की नियुक्ति की जानी है।

मध्यस्थ पद हेतु कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों/अधिवक्ताओं से **दिनांक 04.08.2025 को सायं 04.00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित किए गये थे।

उक्त विज्ञप्ति हेतु आवेदन करने की तिथि को न्यायहित में बढ़ाकर दिनांक 07.08.2025 को सायं 04.00 बजे तक कर दिया गया है। अतः इच्छुक व्यक्तियों/अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 07.08.2025 को सायं 04.00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।


अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
मध्यस्थता केन्द्र,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, बदायूं
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बदायूं।
- 4- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत, बदायूं।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, बदायूं।
- 6- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, बदायूं।
- 7- केन्द्रीय नाजिर, कलैक्ट्रेट, बदायूं।
- 8- अध्यक्ष/सचिव, जिला सिविल बार एसोसिएशन, बदायूं।
- 9- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, बदायूं।
- 10- सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूं को जनपद न्यायालय, बदायूं की वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 11- जिला सूचना अधिकारी को निःशुल्क समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित।


अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
मध्यस्थता केन्द्र,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।